006/एमएससी/038
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, जीपीओकाम्प्लैक्स,
ब्लाक-ए, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023

दिनांक 18.08.2023

कार्यालय आदेश सं 07/08/23

विषय: बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) का गठन

संदर्भ : केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 19.08.2021 का कार्यालय आदेश सं 14/08/21 (फ़ाइल संख्या 006/एमएससी/038)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 19.08.2021 के अपने कार्यालय आदेश द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया था।

2. एबीबीएफएफ के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियमों के अनुसार, डॉ टीएमभसीन,भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री मधुसूदन प्रसाद,आईएएस (सेवानिवृत्त),भूतपूर्व सचिव, शहरी विकास मंत्रालय और श्री डी के पाठक, आईपीएस (सेवानिवृत्त), भूतपूर्वमहानिदेशक, सीमा सुरक्षा बलचार वर्ष का कार्यकाल 20.08.2023 को पूरा करेंगे और आगे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। श्री डेविडरस्किन्हा, भूतपूर्वएमडी, एक्जिम बैंक ने एबीबीएफएफ के सदस्य के रूप में 2 वर्ष पूर्ण किए हैं और इसलिएवह दो अतिरिक्त वर्ष की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। अत:, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने आरबीआई के परामर्श से बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया है :

i) श्री सुरेश एन पटेल, भूतपूर्व केंद्रीय सतर्कताआयुक्त–अध्यक्ष
ii) श्री रविकांत, आईएएस (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव, भूतपूर्व-सैनिक कल्याण विभाग – सदस्य
iii) श्री रजनीकान्त मिश्रा,आईपीएस(सेवानिवृत्त),भूतपूर्वमहानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल – सदस्य
iv) श्री डेविडरस्किन्हा,भूतपूर्वएमडी,एक्सिम बैंक – सदस्य
v) श्री पार्थ प्रतिमसेनगुप्ता,भूतपूर्वएमडी एवं सीईओ, इंडियन ओवेरसीज बैंक – सदस्य

3. अध्यक्ष / सदस्यों का कार्यकाल 21.08.2023 से प्रभावी होकर 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में रु 3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) और अधिक के धोखाधड़ी के मामलों में सभी स्तर के अधिकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों (भूतपूर्व अधिकारियों/भूतपूर्व पूर्णकालिक निदेशकों सहित) की भूमिका की जांच "बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड" करेगा।

5. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान रु 3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) और अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों को सलाह के लिए पैरा (2) के अंतर्गत

गठित बोर्ड को आपराधिक जांच आरंभ होने से पहले संदर्भ के लिए भेजेंगे और सक्षम प्राधिकारी ऐसे सभी मामलों में अधिकारियों की आपराधिक / कदाचार में संलिप्तता पर एबीबीएफएफ की दी गई सलाह पर विचार करेंगे।

6. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि रु 3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) और अधिक की धोखाधड़ी के मामले में बोर्ड की सलाह मांगी गई है, प्राप्त की गई है और इसे जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया है, जो ऐसे मामलों में परिणामी कार्रवाई करते समय बोर्ड की सलाह को ध्यान में रखेंगे।

7. केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसी भी प्रकरण/तकनीकी मामले को सलाह के लिए बोर्ड को भेज सकते हैं।

8. बोर्ड समय-समय पर वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी का विश्लेषण भी कर सकता है और धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इनपुटयदि कोई हो, तो उनको उपलब्ध करा सकता है।

9. सामान्यतया, मंत्रालय/विभाग/सीवीसी या जांच एजेंसी (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहित) की मांग पर प्रारंभिक संदर्भ प्राप्त होने के एक माह के भीतर बोर्ड अपनी सलाह देगा। बोर्ड तिमाही आधार पर आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को अपने निष्पादन और गतिविधियों के बारे में सूचित करेगा।

10. बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन बोर्ड अपनी सुविधानुसार भारत में कहीं भी बैठक कर सकता है । सचिवीय सहायता के संबंध में, एबीबीएफएफ भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर सकता है ।

ह०/-
(पी. डेनियल)
सचिव

प्रति

1. डॉ. टी.एम. भसीन, निवर्तमान अध्यक्ष, एबीबीएफएफ
2. श्री मधुसूदन प्रसाद,निवर्तमान सदस्य, एबीबीएफएफ
3. श्री डी.के. पाठक, निवर्तमान सदस्य, एबीबीएफएफ
4. श्री एस.एन. पटेल, नामित अध्यक्ष, एबीबीएफएफ - नियुक्ति के नियम और शर्तों की प्रति संलग्न है।
5. श्री रविकांत, आईएएस(सेवानिवृत्त), नामित सदस्य, एबीबीएफएफ- नियुक्ति के नियम और शर्तों की प्रति संलग्न है ।
6. श्री रजनीकांतमिश्रा, आईपीएस (सेवानिवृत्त), नामित सदस्य, एबीबीएफएफ - नियुक्ति के नियम और शर्तों की प्रति संलग्न है ।

7. श्री डेविडरस्किन्हा,नामितसदस्य, एबीबीएफएफ - नियुक्ति के नियम और शर्तों की प्रति संलग्न है।
8. श्री पार्थ प्रतिमसेनगुप्ता, नामितसदस्य, एबीबीएफएफ - नियुक्ति के नियम और शर्तों की प्रति संलग्न है।

प्रतिलिपि,
1. गवर्नर/ डिप्टी गवर्नर, आरबीआई, मुंबई।
2. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सीबीआई, नई दिल्ली।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के सभी मुख्य कार्यकारी / मुख्य सतर्कता अधिकारी।